न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) मावली, जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्रीकान्त व्यास, R.A.S.
राजस्व वाद संख्या : 164/16 (वाद)
GCMS No. : 2016/00035

1. श्री चतरभुज पिता रूपा जाट निवासी जेवाणा तह. मावली।

.....वादी

बनाम्

1. श्री उंकार पिता जयराम जाट निवासी जेवाणा तह. मावली।
2. श्री मगनीराम पिता जयराम जाट निवासी जेवाणा तह. मावली।
3. मु. सोहनी बेवा किसना जाट निवासी जेवाणा तह. मावली।
4. लेहरी बेवा किसना जाट निवासी मोरठ तह. मावली।
5. श्री नाथु पिता दल्ला जाट निवासी जेवाणा तह. मावली।
6. श्री अबरार हुसैन पिता शफी मोहम्मद मन्सुरी मुसलमान निवासी फतहनगर तह. मावली।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री भंवरलाल ओस्तवाल, अधिवक्ता वादी।
2. श्री सोहनसिंह राणावत, अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1, 2
2. श्री कमलेश जैन, अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 6

वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक 10.04.2023

1. वादी द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा जेवाणा पटवार हल्का जेवाणा की आराजी नम्बर 686, 740, 747, 748, 749, 750, 751 किता 7 रकबा 18 बीघा 1 बिस्वा भूमि।
2. यह कि प्रतिवादीगण संख्या 1, 2 जयराम जी के लडके है जो अभी मौजूद हैं। पूर्व में जयराम जी के एक लडका और था जिसका नाम सौलाल था वह मर चुका है उसकी विधवा पत्नी केसरबाई मौजूद थी इसलिए उस समय उक्त आराजीयात में 1/2 हिस्से में तीन हिस्सेदार थे यानि 1/2 के भाग में 1/3 हिस्सा उंकार पिता जयराम का व 1/3 हिस्सा मगनीराम पिता जयराम का व 1/3 हिस्सा केसरबाई का था व 1/2 हिस्सा सोहनी बेवा किसनाजी और लेहरी बेवा किसना का और आराजी नं. 686, 747, 748 इन आराजीयात में 1/2 हिस्सा नाथु पिता दल्ला जाट

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.04.18 11:00:37 IST
Reason: SelfAttested

3. यह कि मुझ वादी ने दिनांक 22.05.86 को मौजा जेवाणा की आराजी नम्बर 686, 740, 747, 748, 749 एवं 750 व 751 में 1/2 भाग में प्रतिवादी उंकार का जो 1/3 हिस्सा था तथा मगनीराम पिता जयराम का जो 1/3 हिस्सा था वों 12,000/– अक्षरे बारह हजार रूपया में प्रतिवादी सं. 1, 2 ने मुझ वादी को विक्रय कर दिया तथा मुझ वादी के पक्ष में स्टाम्प लिख कर रजिस्ट्री करा दी तथा कब्जा सिपूर्द कर दिया तभी से मुझ वादी का शांतिपूर्वक कब्जा चला आ रहा हैं।

4. यह कि मुझ वादी के विक्रय के पश्चात् 1/2 भाग में जो केसरबाई का 1/3 भाग हिस्सा था चूंकि केसरबाई बाद में अन्यत्र नाते चली गई इसलिए उसका हिस्सा भी प्रतिवादी सं. 1, 2 में निहित हो गया। इस तरह वर्तमान रेवेन्यु रेकार्ड में 1/2 हिस्से में प्रतिवादी सं. 1, 2 का 1/2 हिस्सा रह गया और केसरबाई का नाम हट गया हैं।

5. यह कि उपरोक्त आराजीयात में मुझ वादी ने प्रतिवादी सं. 1, 2 से उनके 1/2 भाग हिस्सा में से उनका इसमें उस समय जो 1/3 व 1/3 भाग था वो मुझ वादी ने रजिस्टर्ड दस्तावेज से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया इसलिए वो भाग मैं वादी अपने खातेदारी में घोषित करवाने का अधिकारी हुं।

6. यह कि वर्तमान रेवेन्यु रेकार्ड में प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम पर उक्त हिस्सा दर्ज है इसलिए उनके मन में लोभ व लालच की भावना जागृत हो गई है और वे इन आराजीयात को अन्य को बेचना चाह रहे है तथा हमारे शांति पूर्वक उपयोग उपभोग में बाधा पहुंचाने पर उतारू हो रहे है। इसलिए मैं वादी प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने का अधिकारी हुं।

7. यह कि वर्तमान में खाता सामलाती है, इसलिए जमीन का विकास करने में अडचन आती है इसलिए मैं वादी उपरोक्त आराजीयात में जो 1/2 भाग में उंकार, मगनीराम का 1/3, 1/3 हिस्सा है वो हिस्सा मेरे खातेदारी में घोषित करा कर बंटवाडा चाहता हुं इस तरह मैं वादी उक्त जमीन का बंटवाडा भी करवाने का अधिकारी हुं।

8. यह कि बिनाय वाद दिनांक 01.08.2007 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादीगण सं. 1, 2 ने जमीन को बेचने की धमकी दी तथा हमारे शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न की तब उत्पन्न हुआ [illegible] हो निरन्तर जारी हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.04.18 11:00:37 IST
Reason: SelfAttested

9. अतः प्रार्थना है कि वादी के पक्ष में विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री प्रदान करायी जावे कि मौजा जेवाणा की आराजी नम्बर 686, 740, 747, 748, 749, 750, 751 में 1/2 भाग में प्रतिवादीगण सं. 1, 2 का जो 1/3, 1/3 हिस्सा है वो हिस्सा उनकी खातेदारी से हटाकर मुझ वादी की खातेदारी में घोषित किया जावे एवं रेवेन्यु रेकार्ड में उसी प्रकार इन्द्राज फरमाया जावें। मुझ वादी के पक्ष में इस अमर की स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि वे उक्त आराजीयात को किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित नहीं करे तथा मुझ वादी के शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग में प्रतिवादीगण बाधा नहीं पहुंचावे। यह कि पक्षकारान के मध्य अपने अपने हिस्से अनुसार उक्त आराजीयात का बंटवाडा करवाया जाकर रेवेन्यु रेकार्ड में अपने अपने हिस्से को अलग–अलग खाते में दर्ज फरमाया जावें।

10. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 3, 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। प्रतिवादी सं. 1, 2 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादी को प्रतिवादीगण ने 1, 2 ने अपना 1/3–1/3 हिस्सा विक्रय अवश्य किया लेकिन वादी ने जबरन ताकत के बल पर विक्रय की गई भूमि से अधिक भूमि पर कब्जा करना चाहा एवं जिस जमीन पर कब्जा सुपुर्द किया उसके पडोस पूर्व में नाथु पिता दल्ला जाट की जमीन व दक्षिण में आम रास्ता है लेकिन वादी प्रतिवादीगण 1, 2 की अन्य जमीन पर नाजायज रूप से कब्जा करना चाहता है एवं आम रोड के पास स्थित अच्छी जमीन को अपने कब्जे में लेना चाहता है एवं आये दिन लडाई झगडा करने पर उतारू रहता है तथा प्रतिवादीगण को जमीन पर आने पर जान से मारने की धमकियां देता है जो अवैध है। कहा कि केसरबाई का हिस्सा वादी को विक्रय नहीं किया है फिर भी जबरन ताकत के बल पर वादी अपनी जमीन में मिलाना चाहता हैं। जिसका उसे कोई अधिकार नहीं हैं। कहा कि वादी ने प्रतिवादी से अपना 1/3–1/3 हिस्सा क्रय किया एवं प्रतिवादीगण ने मौके पर पहले ही से बंटवारा हो चुका था इसलिए प्रतिवादी सं. 1, 2 की जो जमीन हिस्से में आई उसके पडोस पूर्व में नाथु पिता दल्ला जाट की जमीन, पश्चिम में स्वयं वादी एवं उसके भाईयों की जमीन, उत्तर [illegible] जी जाट का खेत एवं दक्षिण में रास्ता था और इसी [illegible] सुपुर्द किया गया। अतः उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.04.18 11:06:37 IST
Reason: SelfAttested

पडोसों की भूमि पर वादी का कब्जा होतो उसके खाते करदी जावे और यदि अधिक जमीन पर कब्जा हो तो उसे हटवाया जावें। प्रतिवादी सं. 7 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि आराजी नम्बर 686, 747, 748 मुझ प्रतिवादी के नाम पर 1/6 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज है, शेष आराजी में भी मुझ प्रतिवादी का 1/6 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं। केसरबाई अन्यत्र नाते जाने का कथन वादी स्वयं साबित करावें वास्तविकता यह है कि केसरबाई ने अपने नाम दर्ज हिस्सा भूमि को दिनांक 16.11.87 को अपने पति के भाई उंकार जी, मगनीराम को हक त्याग रजि. से रिलीज कर दिया जिसका उल्लेख वादी द्वारा अपने वादपत्र में नहीं किया गया है जबकि वादी द्वारा स्वयं किये गये कथनानुसार उसने वाद वर्णित भूमि को प्रति. सं. 1 व 2 से दिनांक 22.05.86 को जरिये रजि. विक्रय पत्र क्रय किया हैं। चूंकि वादी द्वारा प्रतिवादी सं. 1 व प्रतिवादी सं. 2 से उनका 1/3 हिस्सा क्रय किया गया है साथ ही वर्तमान जमाबन्दी में भी प्रतिवादी सं. 1 व 2 का 1/3 हिस्सा वादवर्णित आराजीयात में शेष बच रहा है जिसे वादी के खाते किये जाने से मुझ प्रतिवादी को कोई ऐतराज नहीं हैं। वादी को प्रतिवादी सं. 1, 2 द्वारा संयुक्त रूप से अपने नाम दर्ज 1/3 हिस्से को क्रय किया था जिसका खातेदार वादी को घोषित किया जाता है तो मुझ प्रतिवादी को कोई ऐतराज नहीं हैं। मुझ प्रतिवादी के विरूद्व कोई वादकारण उत्पन्न नहीं हुआ। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादी द्वारा दिनांक 22.05.86 को खरीदे गए संयुक्त 1/3 हिस्से का जो कि उन्हे प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने विक्रय किया है जो आज भी प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज है का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तो मुझ प्रतिवादी को कोई ऐतराज नहीं हैं।

11. प्रकरण में तनकीयात कायम की गई। किन्तु वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर प्रतिवादीगण द्वारा जिरह नहीं की गई हैं। अतः तनकीयात सिद्व करने की आवश्यकता नहीं रहती हैं।

12. साक्ष्य वादी के अन्तर्गत पीडब्ल्यू 1 श्री चतरभुज पिता रूपा जाट निवासी जेवाणा, पीडब्ल्यू 2 श्री प्रताप पिता नाथु गाडरी निवासी जेवाणा, पीडब्ल्यू 3 श्री गणेश पिता देवजी जाट के शपथ पत्र पेश किये गये हैं। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त शपथ पत्रों पर जिरह नहीं की ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.04.18 11:00:37 IST
Reason: SelfAttested

13. उक्त प्रकरण के पुराने नम्बर 233/07 वाद चतरभुज बनाम उंकार होकर उक्त प्रकरण में निर्णय दिनांक 19.10.2012 को पारित किया गया। वादी द्वारा उक्त निर्णय के विरूद्व प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 जा.दी. का पेश किया जिसके प्रकरण सं. 62/14 विविध निर्णय दिनांक 11.06.2016 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण सं. 233/07 के निर्णय दिनांक 19.10.2012 को अपास्त किया गया था। प्रकरण सं. 62/14 विविध निर्णय दिनांक 11.06.2016 की पालन में प्रकरण सं. 233/07 वाद को पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया, जिसके प्रकरण सं. 164/16 वाद हैं।

14. प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रकरण में प्रस्तुत तथ्यों पर मनन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामें का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहूंचे है कि मौजा जेवाणा पटवार हल्का जेवाणा की आराजी नम्बर 686, 740, 747, 748, 749, 750, 751 किता 7 रकबा 18 बीघा 1 बिस्वा स्थित है। वादी ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22.05.86 को मौजा जेवाणा की आराजी नम्बर 686, 740, 747, 748, 749, 750, 751 में 1/2 भाग में प्रतिवादी उंकार का जो 1/3 हिस्सा था तथा मगनीराम पिता जयराम का जो 1/3 हिस्सा था वो 12,000/– रूपये में प्रतिवादी सं. 1, 2 ने वादी को विक्रय कर दिया तथा वादी के पक्ष में स्टाम्प लिखकर रजिस्ट्री करादी तथा कब्जा सुपुर्द कर दिया तभी से वादी का शांतिपूर्वक कब्जा चला आ रहा हैं। प्रतिवादी के विक्रय के पश्चात् केसरबाई द्वारा दिनांक 16.11.87 को उंकार एवं मगनीराम के पक्ष में रजिस्टर्ड हकत्याग रिलीज डीड की गई जो कि विक्रय के पश्चात् हुई हैं। अतः विक्रय के पश्चात् हकत्याग होने से उक्त हकत्याग का हिस्सा विक्रय होना साबित नहीं होता हैं।

15. अधिवक्ता मय वादी द्वारा उपस्थित होकर प्रकरण में बंटवाडे की दाद को ड्रोप किया जाने का निवेदन किया। अतः बंटवाडे की दाद नहीं चाहने से बंटवाडे की दाद को ड्रोप किया जाता हैं। प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 3 जा.दी. का पेश कर पक्षकारों में आपसी राजीनामा हो जाने से विक्रय पत्र दिनांक 22.05.1986 के आधार पर वादी को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाने का निवेदन किया। पक्षकारों की पहचान उनके अधिवक्ता द्वारा की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.04.18 11:00:37 IST
Reason: SelfAttested

16. अतः राजीनामा एवं रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22.05.1986 के आधार पर यह साबित होता है कि प्रतिवादी सं. 1, 2 द्वारा अपने 1/3–1/3 हिस्से की भूमि का ही विक्रय किया है। अतः विक्रीत भूमि को ही वादी के नाम दर्ज की जा सकती हैं। वादी द्वारा बंटवाडे की दाद को ड्रोप किया गया हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: : आदेश : :–

परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर डिक्री किया जाता हैं कि मौजा जेवाणा पटवार हल्का जेवाणा की आराजी नम्बर 686, 740, 747, 748, 749, 750, 751 किता 7 रकबा 18 बीघा 1 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी सं. 1 व 2 के बजाय विक्रय पत्र दिनांक 22.05.86 के आधार पर वादी को 1/6–1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। बंटवाडे की दाद ड्रोप की जाती हैं। प्रतिवादी सं. 1 से 6 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करें, वादी को भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 10.04.2023 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.04.18 11:00:37 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) मावली, जिला उदयपुर

बईजलास श्रीकान्त व्यास, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री चतरभुज पिता रूपा जाट निवासी जेवाणा तह. मावली।

.....वादी

बनाम्

1. श्री उंकार पिता जयराम जाट निवासी जेवाणा तह. मावली।
2. श्री मगनीराम पिता जयराम जाट निवासी जेवाणा तह. मावली।
3. मु. सोहनी बेवा किसना जाट निवासी जेवाणा तह. मावली।
4. लेहरी बेवा किसना जाट निवासी मोरठ तह. मावली।
5. श्री नाथु पिता दल्ला जाट निवासी जेवाणा तह. मावली।
6. श्री अबरार हुसैन पिता शफी मोहम्मद मन्सुरी मुसलमान निवासी फतहनगर तह. मावली।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53,88,188 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 164/16 (वाद) GCMS No. : 2016/00035

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु श्रीकान्त व्यास R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर डिक्री किया जाता हैं कि मौजा जेवाणा पटवार हल्का जेवाणा की आराजी नम्बर 686, 740, 747, 748, 749, 750, 751 किता 7 रकबा 18 बीघा 1 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी सं. 1 व 2 के बजाय विक्रय पत्र दिनांक 22.05.86 के आधार पर वादी को 1/6–1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। बंटवाडे की दाद ड्रोप की जाती हैं। प्रतिवादी सं. 1 से 6 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करें, वादी को भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 10.04.2023 को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.04.18 11:00:37 IST
Reason: SelfAttested

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) मावली